

← FIRST CHAMBER OR LOWER HOUSE →  
← HOUSE OF COMMONS →

या निम्न सदन  
ब्रिटीश संसद के प्रथम सदन को कामन्स सभा (House of Commons) कहा जाता है। कामन्स सभा ब्रिटीश संसद का लोकप्रिय अंग है क्योंकि इसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा सकल वयस्क मतधिकार (Universal adult franchise) के आधार पर होता है। प्राचीन काल में लार्ड्स सभा ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थी। पीरे-2 कई कारणों से लार्ड्स सभा की शक्तियाँ तथा महत्व में कमी आई तथा कामन्स सभा की शक्तियों में पीरे-2 वृद्धि होती गई। 1911 तथा 1949 ई० के अधिनियमों के पारित होने के बाद कामन्स सभा की स्थिति और शक्तियाँ में वृद्धि हुई। इस संबंध में न्यूमैन ने कहा है कि - "संसद की प्रभुता कामन्स सभा में निवास करती है।"

वर्तमान समय में कामन्स सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। 1970 ई० के संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की जायुवाला प्रत्येक स्त्री<sup>या</sup> पुरुष कामन्स सभा के लिये मतदान का अधिकारी है।

योग्यताएँ :- कामन्स सभा के सदस्य होने के लिये ब्रिटेन के संविधान के द्वारा निर्धारित निम्न लिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं -

- ① वह ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक हो।
- ② उसकी उम्र 21 वर्ष की हो।
- ③ मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो।

कार्यावधि :- कामन्स सभा की कार्यवधि 5 वर्ष की होती है। संकटकाल में इसकी कार्यवधि में वृद्धि की जा सकती है जैसा कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय वृद्धि की गई थी। प्रधान मंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा कामन्स सभा को कार्यवधि की समाप्ति से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।

अधिवेशन :- कामन्स सभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन बुलाये जा सकते हैं। अधिवेशन प्रायः अक्टूबर तथा नवंबर में प्रारंभ होता है। गण-पूर्ति (quorum) के लिये 40 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

विशेषाधिकार :-

- ① सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में दिये गये भाषण के विरुद्ध लिये किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
- ② सदन के अधिवेशन की तिथि से 40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दिवानी मुकदमे के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

- ③ यदि सदन के सदस्य चाहें तो <sup>सदन की</sup> कार्यवाही गुप्त रखी जा सकती है।
- ④ सदन की अवमानना तथा सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिये दंड की व्यवस्था है।
- ⑤ कामन्स सभा के सदस्यों को अपने अध्यक्ष के माध्यम से सम्राट तक पहुँचने का अधिकार है।

कामन्स सभा के अधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लिपिक तथा चैंपलैन प्रमुख होते हैं। अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तथा सदन में अनुशासन एवं शान्ति व्यवस्था <sup>बनाने स्वता है।</sup>

← कामन्स सभा के कार्य एवं शक्तियाँ :-

कामन्स सभा के कार्य एवं शक्तियाँ को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है -

(क) विधायिनी शक्तियाँ → विधि निर्माण के क्षेत्र में कामन्स सभा की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ है। ब्रिटीश संसद की संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत संसद को किसी भी विषय के संबंध में विधि-निर्माण का अधिकार प्राप्त है। कामन्स सभा वास्तुतः संसद की शक्तियों का वास्तविक अधिकारी है।

1911 ई० तथा 1949 ई० के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद कामन्स सभा की ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। कामन्स सभा द्वारा पारित विधेयक को जब लार्ड्स सभा अस्वीकृत कर देती है तब कामन्स सभा उसे दुबारा पारित करती है। दूसरी बार पारित होने के बाद वह विधेयक लार्ड्स सभा द्वारा पारित हुये बिना भी दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा यदि इस बीच एक वर्ष की अवधि बीत गई हो।

(ख) वित्तीय शक्तियाँ - मैडिसन ने कहा है - "जिसके पास वित्तीय शक्ति होती है उसी के पास वास्तविक शक्ति होती है।" ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति पर कामन्स सभा का वास्तविक अधिकार है। ब्रिटेन के संबंध में कहा जाता है "सम्राट धन की मांग करता है, कामन्स सभा उसकी स्वीकृति देती है तथा लार्ड्स सभा उसका अनुमोदन करती है।" कामन्स सभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को लार्ड्स सभा में भेजा जाता है जहाँ लार्ड्स सभा को एक महीने के अंतर्गत विचार करना होता है। एक महीने की अवधि की समाप्ति के बाद धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार वित्त पर वास्तविक नियंत्रण कामन्स सभा का है।

(ग) कार्यपालिका पर नियंत्रण :- कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना कामन्स सभा का प्रमुख कार्य है। ब्रिटीश संविधान के अंतर्गत कामन्स सभा को ऊपर कार्यपालिका के दैनिक नियंत्रण का दायित्व है। संसदीय

शासन प्रणाली होने के कारण ब्रिटीश मंत्रिपरिषद् के सदस्य सामूहिक रूप से कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आमतौर से कामन्स सभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिये प्रश्न पूछने, काम रोकने, एवं निंदा प्रस्ताव पारित करने तथा सार्वजनिक नीति पर वाद-विवाद करने का माध्यम अपनाती है। सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे गंभीर माध्यम है अविश्वास का प्रस्ताव। कामन्स सभा मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उसे अपदस्थ कर सकती है।

(ख) जनता की शिकायतों की सुनवाई :- आमतौर से विधेयकों की प्रस्तावों तथा सार्वजनिक नीतियों पर वाद-विवाद के क्रम में जनहित संबंधी प्रश्न उठाये जाते हैं तथा जनता की भांगों और शिकायतों पर चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से जनता की शिकायतों को सुनने के लिये एक आवेदन समिति (Petition Committee) है जिसके सम्मुख कोई भी नागरिक लिखित रूप से शिकायत कर सकता है। उन शिकायतों पर सुनवाई होती है तथा उनकी जांच पड़ताल के बाद उनके निवारण के लिये सरकार को आवश्यक आदेश दिये जाते हैं।

वास्तविक स्थिति (Real Position) :-

सैद्धांतिक रूप से संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के अंतर्गत कामन्स सभा के कार्य एवं शक्तियाँ व्यापक हैं। विधि निर्माण में कामन्स सभा की व्यापक शक्ति है। कार्यपालिका पर भी कामन्स सभा नियंत्रण रखती है। कामन्स सभा किसी भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उसे अपदस्थ करनी दे सकती है। कोई भी मंत्रिमंडल कामन्स सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

व्यवहार में स्थिति भिन्न है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल इतना शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है कि कई विद्वान ने "मंत्रिमंडल के अधिनायकवाद" शब्द का प्रयोग किया है। मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद हो या न हो, परंतु व्यवहार में शासन के हर क्षेत्र में मंत्रिमंडल का प्रभुत्व एवं व्यापक प्रभाव है। न केवल प्रशासनिक क्षेत्र में वरन् विधि निर्माण के क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल का प्रभुत्व है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल जिस प्रकार का कानून पारित करवाना चाहता है उसी प्रकार का कानून पारित होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिमंडल कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु कठोर दलील अनुशासन के कारण कामन्स सभा मंत्रिमंडल पर दबारा नियंत्रित होती है।

मंत्रिमंडल के व्यापक प्रभाव के बावजूद कामन्स सभा का अपना महत्व है तथा अपना प्रभाव है। मंत्रिमंडल कामन्स सभा की अवहेलना नहीं कर सकता है। आधुनिक युग में जब ब्रिटीश मंत्रिमंडल का प्रभाव व्यापक होता जा रहा है, कामन्स सभा तीन महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है —

- ① शासन पर अंकुश रखने का कार्य।
- ② जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य।
- ③ कुशल राजनीतियों का चयन तथा उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिये अवसर प्रदान करने का कार्य।

न्यूमैन ने ठीक ही कहा है कि — “U.S.A. में राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं परंतु ब्रिटेन में कामन्स सभा ही एक मार्ग है।”